



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (शा०)

(सं० पटना 833) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

7 अक्टूबर 2016

एस० ओ० 267, दिनांक 7 अक्टूबर 2016— बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5, 1988) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अधीन विहित प्रपत्र एल०टी०—I में संशोधन I— बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के अधीन विहित प्रपत्र एल०टी०—I की क्रम सं० 1 (ख) के बाद निम्नलिखित क्रम सं० 1ग, 1घ, एवं 1ड. तुरत के प्रभाव से जोड़ी जायेंगी, यथा—

“1ग. पैन

1घ. मोबाइल संख्या

1ड.. ई-मेल आई०डी०”

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3850]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

7 अक्टूबर 2016

एस० ओ० 268, एस० ओ० 267, दिनांक 7 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3851]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

The 7th October 2016

S.O. 267 dated the 7th October 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5, 1988) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Taxation on Luxuries Rules, 1988 :-

Amendment

Amendment in Form LT-I prescribed under the Bihar Taxation on Luxuries Rules, 1988 :- After Sl. No. 1(b) in Form L.T.-I prescribed under the Bihar Taxation on Luxuries Rules, 1988 the following Sl. No. 1C, 1D and 1E shall be added, with immediate effect:-

- “1C. PAN
- 1D. Mobile No.
- 1E. E-mail I.D.”

[F.No. Bikri-Kar/Sansodhan-03/2016-**3850**]

By order of the Governer of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 833-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>